न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– अपील / 12 / 2025

सुजाराम पुत्र हजारी लाल आयु 53 वर्ष जाति रैगर निवासी ग्राम मुण्डवाडा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
– अपीलान्ट

बनाम

01. सरपंच, मूण्डवाड़ा ग्राम पंचायत मूण्डवाडा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
02. गोवर्धन पुत्र बोदूराम आयु 71 वर्ष जाति हरिजन निवासी ग्राम मूण्डवाड़ा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
– रेस्पोंडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध
नामान्तरकरण सं. 3207 दिनांक 05.06.2025
वाके ग्राम मूण्डवाड़ा द्वारा ग्राम पंचायत मूण्डवाड़ा

उपस्थिति–
01. श्री सुरेश कुमावत, वकील अपीलांट की ओर से
02. श्री रतनलाल, वकील रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से

–:आदेश:–

दिनांक– 21.07.2025

वकील अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "ग्राम मूण्डवाड़ा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में अवस्थित खसरा सं. 1018 रकबा 0.9600 हेक्टेयर भूमि के खातेदार गोवर्धन पुत्र बोदूराम (रेस्पोडेन्ट सं. 02) से दिनांक 15.05.2025 को उक्त खसरा सं. में विक्रेता रेस्पोडेन्ट सं. 02 के 0.9600 हेक्टेयर भूमि में से 0.2248 हेक्टेयर भूमि पश्चिम तरफ की अपीलान्ट ने खरीद की थी। उक्त विक्रय–पत्र का पंजीयन उपपंजीयक, सीकर ग्रामीण के कार्यालय में दिनांक 15.05.2025 को पंजीबद्ध किया गया, उक्त पंजीकृत विकय–पत्र के आधार पर अपीलान्ट ने अपने नाम नामान्तरण खुलवाने हेतु एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.05.2025 को तहसीलदार, सीकर गामीण को प्रस्तुत किया, जिन्होंने मूल ही पटवार हल्का मूण्डवाड़ा को भेजकर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया जिस पर पटवार हल्का मूण्डवाड़ा ने नामान्तकरण सं. 3207 दिनाक 21.05.2025 को भरकर सरपंच, ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया, जिन्होंने ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 05.06.2025 में नामांतरकरण सं. 3207 को खारिज़ कर दिया जिसके विरुद्ध अपीलान्ट की और से अपील प्रस्तुत की जा रही है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण सं. 3207 को निरस्त करने बाबत दिनांक 05.06.2025 को पारित आदेश अवैध एवं विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने नामान्तरण निरस्ती का आदेश पारित करने से पुर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। इसलिए भी उक्त आदेश निरस्त होने के योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने प्राप्त आपत्ति पर अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है ना ही आपत्ति पर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। इसलिए भी उक्त आदेश अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने इस तथ्य पर भी कोई गौर नहीं किया कि अपीलान्ट ने पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाना चाहा है तथा किसी भी न्यायालय का उक्त बेचाननामा के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करने बाबत रोक नहीं होने के पश्चात् भी अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने नामान्तरण निरस्ती का आदेश पारित कर सख्त कानूनी भूल की है। अधीनस्थ ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.07.29 16:38:12 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत के सरपंच ने मनमर्जी व राजनैतिक द्वेषतावश अपीलान्ट का नामान्तरण खारिज किया है। अपील अन्दर मियाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार में होने से उचित कोर्ट फीस पर सादर प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण सं. 3207 दिनांक 05.06.2025 को निरस्ती बाबत आदेश को अपास्त कर अपीलान्ट के पक्ष में पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांकित 15.05.2025 के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करने बाबत आदेश फरमायें।"

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट सं. 2 पर विधिवत तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से तामील पूर्ण हुई। अतः उक्त के बावजूद अनुपस्थित रहने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेंट सं. 1 (सरपंच, ग्राम पंचायत, मूण्डवाड़ा) की ओर से श्री रतनलाल, एड. ने वकालतनामा पेश किया।

बहस उभयपक्ष से सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील के तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराकर कथन किया कि अपीलांट की अपील विधिनुसार है। जिसको स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील रेस्पोडेंट सं. 1 ने उक्त अपील स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न विवादित नामान्तरकरण सं. 3207 दिनांक 05.06.2025 वाके ग्राम मूण्डवाड़ा के संबंध में ग्राम पंचायत मूण्डवाड़ा द्वारा दिनांक 05.06.2025 को भरा जाकर उक्त नामान्तरकरण खारिज किया गया। उक्त नामान्तरकरण को अपीलांट ने चुनौती दी है। उक्त नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति के अनुसार नामान्तरकरण विवादित होने व आपत्ति प्राप्त होने के कारण नामान्तरकरण खारिज किये जाने का उल्लेख है। परन्तु इस संबंध में कोई आपत्ति अथवा विवादित होने संबंधी तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। साथ ही जिस ग्राम पंचायत, मूण्डवाड़ा के द्वारा उक्त नामान्तरकरण को खारिज किया गया था, उन्हीं रेस्पोडेंट सं. 1 के वकील के द्वारा उक्त अपील को स्वीकार करने पर अनापत्ति जाहिर कर चुके है। अतः विवादित नामान्तरकरण को अपास्त किया जाकर प्रकरण को तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

अतः अपीलांट्स की अपील सहमति के आधार पर स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, मूण्डवाड़ा की बैठक दिनांक 05.06.2025 के प्रस्ताव सं. 3 के द्वारा नामान्तरकरण सं. 3207 वाके ग्राम मूण्डवाड़ा दिनांकित 21.05.2025 के द्वारा दिनांक 05.06.2025 निरस्त किये गये नामान्तरकरण को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट सं. 1 (सुजाराम) के पक्ष में बने विक्रय–पत्र सं. 202501569003252 दिनांकित 15.05.2025 के संबंध में जांच कर नियमानुसार उक्त नामान्तरकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर
उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.07.29 15:38:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner